कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)

Mailid-gclawjhalawar@gmail.com Ph.No.-07432-294593

क्रमांक दिनांक. 10-07-2026

आवश्यक सूचना

समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों का नाम मुख्य अस्थायी प्रवेश सूची में आया है उनको सूचित किया जाता है वे दिनांक **11.07.2026** से **15.07.2026** तक निम्न मूल दस्तावेजो के साथ महाविद्यालय में कार्यालय समय प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक मूल दस्तावेजो का सत्यापन करावें व प्रवेश शुल्क (cash) जमा करवायें। उक्त अवधि के पश्चात् किसी प्रकार का कोई अवसर नही दिया जायेगा।

मूल दस्तावेजों की सूचीः–

1. 10वी की अंकतालिका।
2. 12वी की अंकतालिका।
3. स्नातक (प्रत्येक वर्ष की अंकतालिका)
4. स्नातक की डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण–पत्र
5. स्नातकोत्तर (प्रत्येक वर्ष की अंकतालिका)
6. स्नातकोत्तर डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण–पत्र
7. अन्तिम संस्थान द्वारा जारी टी0सी0/सी0सी0(स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र)
8. मूल निवासी प्रमाण–पत्र।
9. OBC/ E.W.S. वर्ग का प्रमाण–पत्र (नवीनतम सर्टिफिकेट एक वर्ष तक मान्य है तथा आगामी दो वर्षो तक आय प्रमाण–पत्र के आधार पर मान्य होगा)।
10. अन्तराल प्रमाण–पत्र (यदि आवश्यक हो) ।
11. आधार कार्ड और जनआधार कार्ड।
12. मतदाता पहचान पत्र
13. स्वयंपाठी अभ्यार्थियो के लिए स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र आवश्यक नही हैं लेकिन नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक है।

नोटः– दिनांक 12.07.2026 राजकीय अवकाश होने के कारण महाविद्यालय में अवकाश रहेगा। अतः सभी विद्यार्थी उक्त दिनांक को दस्तावेज जमा करवा सकते है।

नोटः– मूल दस्तावेजो के सत्यापन के समय किसी भी मूल दस्तावेजो के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा । दस्तावेजो के अभाव में निरस्त किए गए विद्यार्थियो के स्थान पर प्रतिक्षा सूची के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगाा तथा प्रतिक्षा सूची का प्रकाशन 15.07.2026 को सायं 4.00 बजे किया जाएगा

नोटः– शपथ पत्र रु. 50 के स्टाम्प पेपर पर मय नोटेरी पब्लिक द्वारा हस्ताक्षरित हों।

नोटः– अन्डरटेकिंग फोर्म नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

10-07-2026

प्राचार्य

राजकीय विधि महाविद्यालय

(उपस्थिति बाबत् शपथ पत्र)

शपथ – पत्र

मैं ..... पुत्र /पुत्री.....निवासी .....

.....मो0 न0.....

शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ :–

1.यह है कि मैं राजकीय विधि महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)में बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमानुसार कक्षाओं में नियमित रूप से अपनी 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करूंगा/करूंगी । यदि मेरी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है तो मेरा प्रवेश निरस्त करने व परीक्षा से वंचित करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

2.यह है कि मैंने अन्तिम वर्ष की डिग्री ..... मे उत्तीर्ण की है। अन्तिम डिग्री से आज दिनांक ..... तक मैंने किसी भी अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है।

3.यह है कि मै वर्तमान में किसी भी राजकीय/निजी/अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हूँ।

4. मैं महाविद्यालय में रैगिंग/अपराध/अनुशासनहीनता सम्बधिंत गतिविधियों एंव क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/ लूंगी। ना ही इन गतिविधियों को प्रोत्साहन या षंड्यत्र में भाग लूंगा/लूंगी।

नोटः– 50.रू के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा शपथ–पत्र हस्ताक्षरित हों।
(शपथ–पत्र का प्रारूप नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।)

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

–:सत्यापनः–

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य मेरे संज्ञान में सत्य है। इसके किसी भी भाग की अनुपालना में असमर्थ होने की स्थिति में राजकीय विधि महाविद्यालय,झालावाड के सक्षम प्राधिकारी को मेरा प्रवेश निरस्त किये जाने की शक्ति प्राप्त होगी। बिन्दू संख्या 2,3 व 4 की अनुपालना में असमर्थ होने की स्थिति में महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को मेरे विरूद्व न्यायिक कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक .....

नामः .....

शपथ–पत्र (50 रू. के स्टाम्प पर)

अण्डर टेकिंग

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....
.....जाति वर्ग.....जन्म दिनांक.....

...निवासी–पता.....
.....सत्र
20.....20.....में विधि प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेने हेतु यह जानते हुए आवेदन कर रहा/रही हूँ कि मै बार कोंसिल ऑफ इण्डिया के नोटिफिकेशन सं. 1519 दिनांक 17.09.2016 के अन्दर नही आता/आती हूँ और उम्र की सीमा का मामला सिविल रिट संख्या 1023/2016 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विचारधीन हैं। यदि उक्त निर्णय मेरे हित के विपरीत हुआ तो मेरा प्रवेश रद्द समझा जायेगा और मैं इस आधार ,पर किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही नही करूगा/करूगी।

दिनांक

अधोहस्ताक्षर

नाम:

पता:

मों.नं.:

ईमेल आईडी:

प्रवेश सूची के कमांक